न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 31 / 2018 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2018/ 00031)

शांति पुत्री धनपत जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील रावतसर।

अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश दत्तक पुत्र धनपत जाति जाट निवासी निरवाल तहसील रावतसर।
2. रामप्यारी पुत्री धनपत पत्नी लूणाराम जाति जाट साकिन रामपुरा हाल निवासी बणी तहसील राणिया जिला सिरसा (हरियाणा) जरिये मुख्त्यारआम बलदेव सिह पुत्र लूणाराम जाति जाट साकिन बणी तहसील राणियां जिला सिरसा (हरियाणा)
3. रामेश्वरी पुत्री धनपत पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी न्योलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :– श्री महावीर प्रसाद शर्मा – अभिभाषक अपीलांट
उपस्थित :– श्री विजय कुमार पारीक – रेस्पोडेन्ट संख्या 1
उपस्थित :– श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक
अनुपस्थितः– श्री पंकज जोशी – रेस्पोडेन्ट संख्या 2
अनुपस्थितः– श्री विजय कुमार भादाणी – रस्पोडेन्ट संख्या 3

निर्णय दिनांक 20–10–2021

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ) के निर्णय दिनांक 26–04–2018 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट शांति ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर मे अपील पेश कर निवेदन किया कि रिमाण्ड प्रकरण में तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा वादगत भूमि का अपने निर्णय दिनांक 10.05.2016 द्वारा इन्तकाल संख्या 227 तस्दीक कर दिया है, जिसको अपास्त फरमाया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26–04–2018 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर दीं

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील पेश की है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेंन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एव 3 के अभिभाषक बहस के दौरान उपस्थित नही हुए।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक ने दिनांक 10.05.2018 को प्राथमिक कानूनी आपत्ति अपील डिफेक्टिव होने व अनकम्पलीट तथा दुसरी आपत्ति अपील मेन्टेनेबल नही होने एवं दिनांक 30.05.2018 को अपील मेन्टेनेबल न होने की पेश की। जिस पर अपीलान्ट के अभिभाषक का दिनाक 30.05.2018 को जवाब प्रस्तुत किया गया। आदेश दिनांक 09.07.2018 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक की तीनो आपत्ति निरस्त की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने दिनांक 12.07.2018 को सी.पी.सी के सैक्शन 11 के तहत रेस्ज्यूडीकेटा लागू होने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर अपीलान्ट के अभिभाषक ने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2018 को पेश किया। रेस्पोडेन्ट सं.1 के अभिभाषक ने दिनाक 12.06.2019 को अपील मेन्टेनेबल न होने की आपत्ति पेश की जिस अपीलान्ट के अभिभाषक ने दिनांक 09.07.2019 को जवाब पेश किया। दिनांक 23.07.2019 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 12.06.2019 को पेश आपत्ति का विड्रा किये जाने अनुमति चाही। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने दिनांक 10.08.2021 को अपीलान्ट द्वारा अपील में ग्राम पंचायत सरपंच रामपुरा मटोरिया को पक्षकार नही बनाये जाने पर अपील को अनकम्पलीट बताया जिसका औपचारिक जवाब अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नही किया गया बल्कि अन्तिम बहस में इस आपत्ति का जबाब देने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील मीमो पर अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
सत्यमेव जयते
बीकानेर

कहा कि वादगत भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं. 2 व 3 के पिता धनपत के नाम से सन् 1955 से पूर्व की थी जिसका वह एक मात्र मालिक व काबिज था। उक्त भूमि मे उसके भाई रामप्रताप एवं जसराम के वारिस पुत्र रामकिशन का कोई हक न होते हुए भी गलत ढंग से खाता विभाजन करा लिया। जगदीश अपने आपको धनपत का गोद लिया हुआ पुत्र मानता है, जबकि न तो धनपत ने जगदीश को गोद लिया था और न ही खोलानामा कानून के मुताबिक सही है। जगदीश रामप्रताप का पुत्र हैं। रामप्रताप के एक ही पुत्र जगदीश है जिसे कानून के मुताबिक गोद नही दिया जा सकता। गोद लेने हेतु, गोद लेने वाले व्यक्ति और उसकी पत्नी की सहमति आवश्यक है, घनपत की पत्नी जीवित होते हुए भी गोदनामे पर उसके हस्ताक्षर नही है। जगदीश के खोलानामा को निरस्त कराने के लिए हाई कोर्ट में अपील पेश कर रखी है। जब तक हाई कोर्ट से गोदनामे के सम्बन्ध में कोई निर्णय नही हो जाता तब तक वादगत भूमि पर कोई कार्यवाही करने का मातहत अदालत को अधिकार नही था। तहसीलदार रावतसर ने अपीलान्ट को नुकसान पहुचाने के लिये बिना नोटिस व बिना सुनवाई के आदेश दिनांक 10.05.2016 उसके आधार पर तस्दीक इंतकाल सं. 227 नियम विरूद्व है। रेस्पोडेन्ट जगदीश ने इन्तकाल संख्या 93 दिनांक 22.03.1999 जो घनपत की तीनो पुत्रियो एवं जगदीश के नाम से दर्ज था को खारिज करवाकर इंतकाल नं. 222 दिनांक 04.01.2016 को वापिस धनपत के नाम दर्ज करवा लिया और उसके आधार पर बालिग पुत्र की हैसियत से धनपत की भूमि का 12.11.1990 को आवंटन होना बतालकर दिनांक 10.05.2016 को अपने नाम से इन्तकाल संख्या 227 दर्ज करवा लिया जो गलत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–04–2018 एवं इन्तकाल सं. 227 दिनांक 10.05.2016 खारिज फरमाया जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट ने इन्तकाल संख्या 227 के लिए तहसीलदारं द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2016 के मूल आदेश की अपील पेश नही की जबकि अपील हमेशा मूल आदेश के विरूद्व पेश होती है। इसलिए यह अपील खारिज योग्य है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक ने आपत्ति पेश कर यह भी कहा कि इस प्रकरण में ग्राम पंचायत सरपच रामपुरा मटोरिया आवश्यक पक्षकार है। अपीलान्ट ने प्रथम अपील एव अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के समक्ष भी ग्राम पंचायत सरपच रामपुरा मटोरिया को पक्षकार बनाया गया था। दिनांक 27.10.2015 सहायक कलक्टर रावतसर के आदेश के विरूद्व अपील मे पक्षकार बनया गया था। इन्तकाल संख्या 222 व 227 के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा पेश की गई अपील में भी ग्राम पंचायत सरपच रामपुरा मटोरिया को पक्षकार बनाया गया था। इस अपील मे भी ग्राम पंचायत सरपच रामपुरा मटोरिया आवश्यक पक्षकार है। उसको पक्षकार नही बनाया गया है। उक्त अपील द्वितीय अपील के तौर पर पर पेश की गई है जो नियम विरूद्व है क्योकि रिमाण्ड होने के पश्चात पुनः सुनवाई होकर तहसीलदार द्वारा इन्तकाल संख्या 222 व 227 दर्ज किये गये है। जब प्रकरण डिस्प्यूटेड हो चुका था तो इनकी अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर को न होकर संभागीय आयुक्त के समक्ष पेश की जानी चाहए थी। तहसीलदार द्वारा जगदीश की भूमि का इन्तकाल जगदीश के नाम तथा धनपत की भूमि का इन्तकाल धनपत के नाम किया। अपील अनकम्पलीट होने से व डिफेक्टिव होने से तथा आदेश के विरूद्व अपील ना होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2004 पृष्ठ 101, RRD 2008 पृष्ठ 755, RRD 2008 पृष्ठ 383, RRD 2010 पृष्ठ 557, RRD 2010 पृष्ठ 393, RRD 2008 पृष्ठ 587, RRD 2002 पृष्ठ 330, RRD 2009 पृष्ठ 637, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया।

8. रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेस्ज्यूडिकेटा में कोई तथ्य प्रस्तुत नही किये गये है कि किस आधार पर प्रकरण रेस्ज्यूडिकेटा की श्रेणी में आता है, इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत रेस्ज्यूडिकेटा खारिज किया जाता है। साथ ही ग्राम पचायत रामपुरा मटोरिया को पक्षकार नही बनाये की आपत्ति पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से पर स्पष्ट होता है कि प्रथम अपील व निर्णय में ग्राम पंचायत रामपुरा मटोरिया को पक्षकार नही बनाया गया तथा ना ही ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण सं. <u>222</u> निर्णित किया गया है ना ही ग्राम पंचायत से कोई अनुतोष की मांग की गई ऐसी स्थिति मे ग्राम ग्राम पंचायत रामपुरा मटोरिया को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नही है। अतः रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

9. प्रस्तुत प्रकरण में यह द्वितीय अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 26.04.2018 के विरूद्व पेश की गई जिसमे चक 3 एन.डब्ल्यू.डी पटवार हल्का रामपुरा तहसील रावतसर के नामान्तरकरण सं. 227 दिनांक दिनांक 10.05.2016 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई थी, उक्त नामान्तरकरण सं. 227 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि यह नामान्तरकरण कालम सं. 14 के अनुसार तहसीलदार राजस्व रावतसर के पत्र क्रमांक TRA/16/859 दिनांक 06.05.2016 के द्वारा सहायक कलक्टर के आदेश क्रमांक 2448 दिनांक 12.11.1990 की प्रति पटवारी को प्रेषित की गई है के अनुसरण में दर्ज किया गया है। सन्दर्भित आदेश का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि पत्र क्रमांक 2448 दिनांक 12.11.1990 तहसीलदार रावतसर को राशि जमा करवाने हेतु लिखा गया पत्र है। जिसको आवंटन आदेश

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मानकर वर्ष 2016 में करीब 26 वर्ष पश्चात नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। साथ ही कॉलम संख्या 7 के अनुसार अपीलाधीन भूमि धनपत वल्द दुदाराम के नाम दर्ज थी जो कि जगदीश दत्तक पुत्र धनपत के नाम दर्ज की गई है, जबकि धनपत वल्द दुदाराम के नाम दर्ज भूमि को बालिग पुत्र में आवटन से पूर्व धनपत पुत्र दुदाराम को धारा 15 ए ए ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी प्रदान करते हुए अधिशेष भूमि को निरस्त कर जगदीश पुत्र धनपत के नाम बालिग पुत्र में भूमि आवटन किये जाने के आदेश के सम्बन्धी कोई दस्तावेजी साक्ष्य नामान्तकरण सं. 227 मे अंकित नही है, साथ ही नामान्तकरण सं. 222 जिसक विरूद्व अपील अदालतवाला मे विचाराधीन थी जिसमें आज अपील स्वीकार करते हुए नामान्तकरण सं. 222 निरस्त किया गया है। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण के तथ्यो से भिन्न होने से हस्तगत प्रकरण पर हुबहू चस्पा नही होते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–04–2018 एवं नामान्तकरण सं. 227 को निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण तहसीलदार राजस्व रावतसर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में आवटन आदेश की जांच कर उभय पक्ष को सुनकर, पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर रहै। निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर